



तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट
THIRTEEN ANNUAL REPORT
2009-2010

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन
NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND
DEVELOPMENT CORPORATION

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, GOVT. OF INDIA)

रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)
दूरभाष : 0129-2287513, 2226910, 2264841 टेलीफैक्स : 2284371
ई-मेल : nhfdc@nda.vsnl.net.in
वैबसाइट : www.nhfdc.org
Red Cross Bhavan, Sector-12, Faridabad - 121007 (Haryana)
Phone : 0129-2287513, 2226910, 2264841 Telefax : 2284371
E-mail : nhfdc@nda.vsnl.net.in
Website : www.nhfdc.org



सूची

INDEX

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या	S. No.	Subject	Page No.
1.	वार्षिक साधारण बैठक की सूचना	1	1.	Notice of Annual General Meeting	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2-36	2.	Directors' Report	2-39
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	37	3.	Comments of Comptroller & Auditor General of India	40
4.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	38-40	4.	Report of Statutory Auditors	41-43
5.	तुलन पत्र	41	5.	Balance Sheet	44
6.	आय और व्यय लेखा	42	6.	Income and Expenditure Account	45
7.	लेखा भाग की संलग्न अनुसूचियाँ और हिस्से (अनुसूची 'क' से 'थ')	43-68	7.	Schedules Annexed to and forming part of Annual accounts (Schedule 'A' to 'Q')	46-70
8.	नकद प्रवाह विवरण	69	8.	Cash Flow Statement	71
9.	परोक्षी प्रपत्र	70	9.	Proxy Form	72

निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTORS

(12 अगस्त, 2010 को)
(As on 12th August, 2010)

1. श्री अनन्त चरण पाढ़ी
Shri Ananta Charan Padhi अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी
Chairman-cum-Managing Director, NHFDC
 2. श्री प्रदीप कुमार सिन्हा
Shri Pradeep Kumar Sinha अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
**Additional Secretary & Financial Advisor
Ministry of Social Justice & Empowerment**
 3. डॉ. अरबिन्द प्रसाद
Dr. Arbind Prasad संयुक्त सचिव (डीडी)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
**Joint Secretary (DD)
Ministry of Social Justice & Empowerment**
 4. डॉ. (श्रीमती) विनिता शर्मा
Dr. (Smt.) Vinita Sharma वैज्ञानिक "जी"
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**Scientist "G"
Department of Science & Technology**
 5. श्री समीर कुमार मुखर्जी
Shri Sameer Kumar Mukherjee अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
**Chairman & Managing Director
Artificial Limbs Manufacturing Corporation
of India**
 6. श्री दीपक गुप्ता
Shri Deepak Gupta महाप्रबंधक
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
**General Manager
Industrial Development Bank of India**
 7. श्री राम निवास यादव
Shri Ram Niwas Yadav महाप्रबंधक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
**General Manager
Small Industries Development Bank of India**
-
-

श्री रणजित कुमार मिश्र
Shri Ranajit Kumar Mishra

आंतरिक लेखा परीक्षक

Internal Auditors

सांविधिक लेखा परीक्षक

Statutory Auditors

कंपनी सचिव
Company Secretary

मैसर्स जय किशन गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
2/20, डबल स्टोरी, जंगपुरा एक्सटेंशन
नई दिल्ली-110 014

M/s. Jai Kishan Gupta & Co.
Chartered Accountants
2/20, Double Storey, Jungpura Extn.
New Delhi-110 014

मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
709-710, अंसल चैम्बर-II
6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066

M/s. Virmani, Roy & Kutty
Chartered Accountants
709-710, Ansal Chambers-II,
6, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066



- क) जिस तिथि को तुलनपत्र तैयार किया जाता है तब तक के संदिग्ध व अशोध्य ऋण जो पांच साल से ज्यादा समय के लंबित हैं तथा जिनकी सरकारी प्रतिभूति/आदेश/आश्वासन तुलन पत्र तैयार करने की तिथि तक उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए प्रावधान किया जायेगा।
- ख) एनजीओ के मामले में अशोध्य व संदिग्ध ऋण, जो तुलन पत्र तैयार करने की तिथि को तीन साल से ज्यादा लंबित है तथा निगम की नीति के अनुसार जिनकी जमानत नहीं है के लिए प्रावधान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एनजीओ द्वारा ऋण की राशि पर जमानत सावधि जमा के तौर पर 25% तथा संपार्श्विक जमानत के तौर पर 40% जैसी भी स्थिति हो का प्रावधान किया जाएगा।
- ग) ऋण का 100% (उपर्युक्त उल्लेखित अवधि का बकाया मूलधन/ब्याज) तथा उपर्युक्त के अनुसार प्रतिभूत नहीं है का प्रावधान किया जाएगा।

7. नकद प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 के 'इनडायरेक्ट मैथड' के आधार पर तैयार किया गया है तथा तुलन पत्र के साथ संलग्न है।

ख) लेखाओं की टिप्पणियाँ :

1. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कार्पोरेशन को भारत सरकार द्वारा 9.00 करोड़ रुपये के (1000 के साम्य शेयरो की 90,000 संख्या) साम्य शेयर आवंटित हुए जो कि भारत सरकार के संख्या 17 जुलाई 2009 के पत्र संख्या 1-8/2007-डीडी-IV रुपये 9.00 करोड़ प्राप्त हुए। उक्त राशि 29 जुलाई 2009 को प्राप्त हुई। निगम के बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सैक्टर-9, फरीदाबाद में जमा की गई। उपर्युक्त शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम से आवंटित है जिनका माध्यम अतिरिक्त सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है।
उपरोक्त के अलावा प्रशासनिक मंत्रालय पत्र संख्या 1-8/2007-डीडी-IV तारीख 6 मार्च 2009 रु 9.00 करोड़ भी मंजूर किए गए जिसके प्रति 1000 साम्य शेयरों की 90,000 संख्या साम्य पूर्ण प्रदत्त शेयर 15-5-09 को आवंटित हुए थे शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम से आवंटित हैं जिनका माध्यम अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है।
2. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25(3)(बी) की शर्तों के अनुसार निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और व्यय से अधिक आय के अधिशेष को विकास योजनाओं के लिए वित्त बढ़ाने के लिए एकत्रित किया जाता है तथा इसलिए रु. 2,74,75,731/- के अधिशेष को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।
3. रुपये 4,50,000/- की राशि मैसर्स रैडक्रास सोसायटी, फरीदाबाद स्थित रैडक्रास भवन के परिसर को निगम के लिए पट्टे पर लेने हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में दी गई है। ब्याज राशि का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।
4. 31-3-2010 तक कुल राशि रु. 228.12 करोड़ (पिछला वर्ष 198.53 करोड़) ऋण के तौर पर जारी कर दी गई है व रु. 5.58 करोड़ (पिछले वर्ष 4.37 करोड़) माइक्रो क्रेडिट वित्तीय स्कीम के अंतर्गत जारी कर दी गई है।
5. श्री एम. रविकांत, भा.प्र.से. (पूर्व अप्रनि) की नियुक्ति के संबंध में 1-4-2009 से 8-12-2009 तक की अवधि के लिए रु. 1,72,581/- की राशि को वेतन तथा पेंशन अंशदान के रूप में विदेश सेवा अंशदान शीर्षक के अंतर्गत बही खातों में नामे किया गया है। उक्त प्रावधान उनके सेवा निबंधनो तथा शर्तों की पुष्टि के अनुरूप है।
6. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम के आयकर अधिनियम की धारा 12एए के अधीन पंजीकरण प्राप्त कर किया है। निगम ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)सी (iv) के अंतर्गत छूट प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र भी दाखिल किया है, जो विभाग के द्वारा विचाराधीन है।



नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन

7. संविदा अवशेष की अनुमानित राशि मूल धन सेवा पर निष्पादित की जाती है तथा प्रवाहित न की गई लिए रु. शून्य है (अग्रिम का निवल) (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)
8. **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम :-** निदेशकों की राय में सभी चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिम का मूल्य वसूली पर निर्भर करता है जो व्यवसाय की सामान्य क्रिया विधि में कम से कम तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि के समतुल्य होगी।
9. रुपये 7,14,03,524/- के नकद तथा बैंक शेष (अनुसूची 'घ') में भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त साम्या के कारण जो अल्पवाधि जमा के रूप में वचत बैंक खाते में रखे गये थे। रुपये 7,14,03,524/- बैंक शेष व नकद अनुसूची 'घ' में निम्नलिखित शामिल हैं :-

हस्तगत नकदी : रुपये 1,94,871/-

अनुसूचित बैंकों के बचत बैंक खाते में बकाया : रुपये 7,12,08,973/-

10. भारतीय जीवन निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन करने पर उपदान के लिए संचित प्रावधान 31.3.2010 को रु. 22,61,294/- संचित प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए उपदान के लिए रु. 11,39,451/- का रखा गया है। बीमांकिक मूल्यांकन की तारीख 31.3.2010 है।
11. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई बीमांकिक मूल्यांकन के मुताबिक करने पर छुट्टी नकदीकरण के लिए 31-3-2010 को रुपये 16,47,899/- का संचित प्रावधान होना है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 7,40,731/- रुपये छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।
12. 29 अगस्त 2008 को संपन्न 53वीं मंडल बैठक में अनुमोदित नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैर सरकारी संगठनों हेतु एनएचएफडीसी की लेखा बहियों में अशोध्य व संदिग्ध ऋण का कुल प्रावधान 13,12,111/- रुपये किया गया। (पिछले वर्ष का प्रावधान : एफसीए - 2,54,78,361/- रु. एनजीओ - 31,06,500/- रुपये, कुल प्रावधान : 2,85,84,861/-)
वर्ष 2009-10 के दौरान संदिग्ध ऋण की अधिकता का प्रावधान (एससीए/एनजीओ) शीर्ष के अंतर्गत 2,58,46,262/- रुपये वित्त वर्ष 2008-09 में की गई प्रावधान महिला विकास समबाया निगम (एससीए) से 2,54,78,361/- रुपये तथा 3,67,901/- रुपये 4 एनजीओज के विरुद्ध वापिस ली गई।
13. निगम कार्यालय परिसर को भारतीय रैड क्रॉस सोसायटी फरीदाबाद से लीज के आधार पर रु. 67,679/- प्रतिमाह की दर से 1.12.2009 को तीन वर्ष के लिए ले चुका है।

एनएचएफडीसी की कंपनी लीज पर रहने का स्थान देने की शर्तों, नियमों पर निगम के कुछ अधिकारियों को कंपनी लीज पर रहने का स्थान वर्ष 2009-10 के दौरान दिया गया था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।



क्र.सं.	पदनाम	लीज की अवधि	लीज का मासिक किराया (रुपये में)
01	उप महाप्रबंधक	1-07-06 से 30-06-09	रुपये 8320/- 30-11-08 तक रुपये 8920/- 01-12-08 से
02	प्रबंधक (वित्त)	1-09-06 से 31-08-09	रुपये 7480/-
03	प्रबंधक (का. एवं प्र.)	1-07-06 से 30-06-09	रुपये 5840/- 25-06-08 तक रुपये 7300/- 26-06-08 से

14. निगम ने मैनुअल स्कैविन्जर्स पुनर्वास योजना (एसआरएमएस) के तहत 31.03.2010 तक रु. 216.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्राप्त की, जिसमें से रु. 28,23,588/- की राशि (पिछले वर्ष रु. 77,82,142) वित्त वर्ष 2009-10 में योजना के कार्यान्वयन के तहत उपगत हुई तथा बकाया राशि रु. 1,61,81,147/- 31.3.2010 को निगम के पास खर्च हेतु शेष रखी है। जिसका ब्यौरा अनुसूची 'थ' में दिया गया है।

15. निगम ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 52,50,000/- रु. की राशि प्राप्त की (जिसमें वर्ष 2009-10 में संवितरण हेतु अनुमानित छात्रवृत्ति रु. 50 लाख तथा एनएचएफडीसी द्वारा इसके बाबत किया जाने वाला प्रशासनिक व्यय जो विहित छात्रवृत्ति के 5% के रूप में 2.50 लाख रुपये है शामिल है) जिसमें से वित्त वर्ष 2009-10 में योजना के कार्यान्वयन के तहत रु. 8,34,945/- की राशि (पिछले वर्ष रु. शून्य) व्ययगत हुई तथा 31.3.2010 को एनएचएफडीसी के पास खर्च हेतु रु. 44,36,581 बकाया राशि के तौर पर शेष है। जिसका ब्यौरा अनुसूची 'थ' में दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति योजना 2009-10 के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन लागत के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2009-10 के तहत प्राप्त कुल राशि रु. 52,50,000/- में से रु. 8,29,236 की राशि खर्च की। एनएचएफडीसी व्ययगत विज्ञापन लागत की प्रतिपूर्ति के मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से मीडिया प्लान हैड के तहत राशि जारी कराने हेतु प्रयासरत है। यह व्यय चालू वर्ष के छात्रवृत्ति व्यय के तहत अनुसूची 'थ' में दर्शाया गया है।

16. रु. 25,34,960/- की राशि जो विभिन्न परामर्शदाताओं को दक्षता व उद्यमिता विकास कार्यक्रम के खाते में संदेय के रूप में लेखांकित है यद्यपि उक्त का भुगतान लेखा परीक्षा विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति आदि हेतु लंबित है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कार्यक्रम 31.03.2010 को पूरा कर लिया गया है।

17. उपायुक्त (हस्तशिल्प) ने अपने दिनांक 21.7.2009 के मंजूरी आदेश सं. एम. 116/317/2009 एमआइएस (आईएम) के द्वारा 15-20 अगस्त को होने वाले अंतरराष्ट्रीय उपहार मेला, न्यूयार्क (एनवाइआइजीएफ) में एनएचएफडीसी की भागीदारी



हेतु सहायता अनुदान के रूप में 18.00 लाख रुपये स्वीकृत किए थे। तदनुसार वित्त वर्ष 2009-10 स्वीकृत एनएचएफडीसी स्वीकृत राशि रु. 18.00 लाख का 50% रु. 9.00 लाख सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। इस मेले में 9.00 लाख रुपये की बजाय रु. 12,55,877/- उपगत हुए तदनुसार रु. 3,53,754/- को लेखा बहियों में उपायुक्त हस्तशिल्प (डीसीएच) नई दिल्ली से वसूली योग्य राशि के शीर्ष से दिखाया गया है।

तत्पश्चात विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 23.4.2010 के आदेश सं. एम-1114/317/2009 एमएसएस (आईएम) अंतिम किस्त के रूप में रु. 3,53,754/- की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है तथा कार्पोरेशन बैंक के निगम के खाते में 15.06.2010 को राशि प्राप्त हुई।

18. रुपये 11,10,902/- राशि के विभिन्न चैक/ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा कार्पोरेशन बैंक के हमारे कलैक्शन अकाउंटस में जमा किए गए थे, अभी हमारे खाते में क्रेडिट होना बाकी है। ये लिखत एनएचएफडीसी के लेखापरीक्षक से परामर्श उपरांत लेखा बहियों में चालू वर्ष में आरक्षित हैं क्योंकि सभी सैटिल हो चकी हैं। यह मामले संबंधित बैंकों के साथ एनएचएफडीसी की इन लिखतों के विरुद्ध उठाया जा चुका है। जिसे संबंधित बैंकों से क्रेडिट प्राप्त होने पर लेखांकित किया जाएगा।

19. वेतनमान का संशोधन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन तथा दिनांक 26.11.2008 के डीपीई का.आ.सं. 2(70)08 डीपी (डब्लूसी) जीएल-VIII/09 तथा 2.04.2009 के का.ज्ञा.सं 2(70)/08 डीपीई(डब्लूसी) द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार दूसरी वेतन समिति की सिफारिश निगम कार्यान्वित कर चुका है। तदनुसार निगम के कर्मचारियों को 1.1.2007 से संशोधित वेतनमान दिया जा चुका है।

20. प्रशासनिक मंत्रालय (एमओएस जे एंड ई) के दिनांक 30.04.2009 के का.ज्ञा.सं. 2-11/2009-डीडी-IV के निदेशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के समेकित वित्त विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन अपेक्षित है। तदनुसार पारिश्रमिक समिति के गठन का मामला 15.05.2009 को संपन्न 56वीं मंडल बैठक में ले लिया गया।

पारिश्रमिक समिति वित्त वर्ष 2009-10 से संदेय परवर्ती वेतन (यथा पीआरपी, निष्पादन संबंधी वेतन) तथा डीपीई द्वारा विहित सीमाओं में इसका कर्मचारियों में वितरण का निर्णय करेगी। उक्त का लेखा-जोखा निर्णय आने पर होगा।



21 **अनलिंकड प्राप्तियाँ**

अन्य देनदारी (अनुसूची-ज) अनलिंकड प्राप्तियाँ (क्रमांक नं. ट) में रु. 10,90,792 शामिल है, जो कि रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से बैंक बचत खाता एसबीआई, नीलम चौक, फरीदाबाद, एसबीआई, मिनी सेक्रेट्रिएट शाखा, सैक्टर-12, फरीदाबाद व एसबीपी, सैक्टर-9, फरीदाबाद में प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्तियों का स्रोत अब तक पता नहीं किया जा सका। इन प्राप्तियों के स्रोत के संबंध में पता होने के बाद बही खातों में आवश्यक लेखांकन किया जाएगा।

इन प्राप्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

प्राप्ति की तारीख	राशि प्राप्त हुई (रुपयों में)
क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-12, फरीदाबाद	
27-01-2010	41,700/-
16-02-2010	2,35,250/-
26-02-2010	4,944/-
23-03-2010	42,000/-
कुल	3,23,894/-
ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनआईटी, फरीदाबाद	
09-04-2009	5,00,000/-
14-07-2009	16,898/-
30-10-2009	50,000/-
कुल	5,66,898/-
ग) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सैक्टर-9, फरीदाबाद	
27-08-2009	2,00,000/-
कुल	10,90,792/-

22 **अनुषंगिक देयता -**

अ) प्रतिपूर्ति व मुकदमेबाजी खर्च रुपये 2.01 लाख जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, यमुना नगर, जगाधरी (हरियाणा) के निगम की राज्य कार्यकारी संस्था हरियाणा पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति कल्याण निगम के विरुद्ध प्रदान किए गये।

निगम ने राज्य कार्यकारी संख्या के संबंध में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, यमुना नगर (हरियाणा) के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने को प्राथमिकता दी है, जिसका निर्णय आना बाकी है। अतएव वित्त वर्ष 2009-10 के खाते में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

हालांकि यदि भविष्य में इस मामले में निगम के विरुद्ध कोई निर्णय आता है तो निगम को 1.005 लाख रुपये (जो कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच को प्रदान की जाने वाली राशि का 50% हिस्सा है) अदा करने होंगे, शेष राशि संबंधित राज्य कार्यकारी संस्था वहन करेगी।



- ब) श्री टी अनन्था रेड्डी सुपुत्र श्री सुरेन्दर रेड्डी निवास स्थान 12-5-27/3, विजयापुरी साउथ लालगुड़ा, जिला सिकंदराबाद हैदराबाद द्वारा एक रिट याजिका वाइड डब्ल्यू पी नं. 2823 वर्ष 2006 में प्रबंध निदेशक एपी विकलांगुला सहकारी निगम व अन्य के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट आंध्रा प्रदेश हैदराबाद में दायर की गई (एचएचएफडीसी को प्रतिवादी नं. 2 बनाया गया है।

वादी एक बार में ही देयराशि को तय करवाना चाहता है। (सिर्फ मूल भाग) ब्याज को छोड़ कर

एनएचएफडीसी मानता है कि यह एससीए व उधारकर्ता के बीच में ही मामला सुलझे जहाँ तक एनएचएफडीसी का सवाल है इसमें एससीए प्राथमिक रूप से देनदार है, एचएचएफडीसी व वादी के बीच में कोई गुप्त आचरण नहीं है।

23. कंपनी अधिनियम, 1956 के पैरा IV, भाग II, अनुसूची (VI) के अंतर्गत अतिरिक्त सूचनाएं :-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

विवरण	2009 - 2010	2008 - 09
वेतन एवं भत्ते	रुपये 6,76,267/-	रुपये 9,00,865/-
अन्य लाभ	रुपये 3,08,788/-	रुपये 4,38,301/-
कुल	रुपये 9,85,055/-	रुपये 13,39,166/-

उपरोक्त के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की शर्तों के अंतर्गत एक कार्यालय कार प्रदान की गई। इसी प्रकार 8.12.09 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 4,046/- प्राप्त हुए।

24. **विदेशी मुद्रा खर्च**

15-20 अगस्त 2009 के दौरान अंतर्देशीय उपहार मेला में भाग लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की न्यूयार्क की यात्रा में रु. 2,25,135.13 खर्च किए (पिछला वर्ष रु. 5,07,200/-)

25. **प्रतिशेयर अर्जन**

क्र.सं.	विवरण	2009 - 2010	2008 - 2009
क)	वर्ष के लिए साम्या शेयर धारियों के निबल लाभ	2,74,75,731	(-) 2,88,50,964
ख)	साम्या शेयरो की भारित औसत संख्या		
	बेसिक	11,26,357	9,61,626
	डाइल्यूटिड	11,41,729	9,61,626
ग)	प्रति शेयर मूल अर्जन क/ख (रुपये)	24.39	- 30.77
घ)	डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (रु.)	24.07	- 30.00
छ)	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (रुपये)	1,000/-	1,000/-



26. वर्ष के दौरान पूर्व कालीन समायोजन रु. 31,00,029/- पिछला वर्ष रु. 21,22,757/- आय व व्यय रखते में कर दिए गये जिसका विवरण अनुसूची (त) में दिया गया है।
27. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं भी चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ समरूप करना आवश्यक या उन्हें पुनः वर्गीकृत/पुन व्यवस्थित किया गया है।
28. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना :-
तुलन पत्र सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण :-

तुलन पत्र सारांश तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

i) पंजीकरण विवरण

पंजीकरण सं.	: 05-33466	स्टेट कोड - 05
तुलन पत्र तिथि	: 31.03.2010	

ii) वर्ष के दौरान वर्धित पूंजी (राशि हजार रुपयों में)

सार्वजनिक निर्गम	: शून्य	राइट निर्गम	: शून्य
सरकारी अंशदान	: 90,000*	बोनस निर्गम	: शून्य
प्राइवेट	: शून्य		

(* इसके अन्दर 90,000 शेयर नहीं मिलाए गये जिसके लिए आवेदित राशि लंविट आबंटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र तिथि 6.3.2009 को प्राप्त हुए जो 15.5.09 को आबंटन हुआ।)

iii) कोष को विकसित करने व जुटाव करने के हालात

(राशि हजार रुपयो में)

कुल देयताएं	: 14,58,720	कुल परिसंपत्तियाँ	: 14,58,720
-------------	-------------	-------------------	-------------

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी	: 11,68,010	रिजर्व व अधिशेष	: 2,60,297
सुरक्षित ऋण	: शून्य	असुरक्षित ऋण	: शून्य

निधियों का उपयोग

निवल स्थाई परिसंपत्तियां	: 4,008	निवेश	: शून्य
निवल चालू परिसंपत्तियां	: 14,24,299	विविध व्यय	: शून्य
संचित घाटा	: शून्य		

iv) कंपनी का निष्पादन

प्राप्ति	: 63,232	कुल खर्च	: 35,756
कर पूर्व लाभ	: 27,476	कर पश्चात् लाभ	: 27,476
(व्यय उपरांत आय)		(व्यय उपरांत आय)	
प्रत्येक शेयर अर्जित :			
बेसिक	: 24.39	लाभांश	: लागू नहीं
डाइल्यूटिड	: 24.07		



v) कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं (आर्थिक शर्तों के अनुसार)

के सामान्य नाम

मद कोड सं. : शून्य

(आईटीसी कोड)

उत्पाद विवरण : वित्त पोषक परियोजनाएँ

अनुसूची 'क' से 'थ' लेखा का अभिन्न भाग गठित करते हैं।

इस तिथि की हमारी संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित

मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर

से एवं उनके निमित्त

ह०

(अरुण एस. कुट्टी)

साझेदार

एम. नं. 84560

दिनांक : 12 अगस्त, 2009

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह०

(एम. रविकांत)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह०

(ए.सी. पाढ़ी)

निदेशक

ह०

(आर.के. मिश्र)

कंपनी सचिव

ह०

(जी.एस. पंवार)

प्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(राशि रुपयों में)

	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को	
क) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
व्यय पर आय की अधिकता	2,74,75,731	(2,88,50,964)	
समायोजन हेतु			
मूल्यह्रास	13,49,092	14,84,155	
अशोध्य ऋणों व अग्रिम हेतु प्रावधान	13,12,111	2,85,84,861	
बिक्री पर हानि/स्थायी परिसंपत्तियों का समायोजन	74,472	1,75,000	
प्रचालन लाभ कार्यगत पूँजी बदलाव से पहले	3,02,11,406	13,93,052	
समायोजन हेतु			
दूसरी चालू परिसंपत्तियों तथा ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी	(18,42,96,824)	(14,67,47,963)	
चालू देयताओं तथा अन्य संदेय में वृद्धि/कमी	77,68,210	1,43,32,937	
प्रावधान में वृद्धि (कमी)	18,60,863	8,63,900	
	(17,46,67,751)	(13,15,51,126)	
प्रचालन जनित नकद	(14,44,56,345)	13,01,58,074	
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(14,44,56,345)	(13,01,58,074)	
खा) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह			
स्थायी परिसंपत्ति की (खरीद)	(9,15,744)	(18,61,387)	
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री	55,786	0	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह	(8,59,958)	(18,61,387)	
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
शेयर कैपिटल	9,00,00,000	9,00,00,000	18,00,00,000
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह	9,00,00,000	9,00,00,000	18,00,00,000
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(5,53,16,303)	4,79,80,539	
जोड़े : नकद एवं नकद समतुल्य का प्रारंभिक शेष	12,67,19,827	7,87,39,288	
नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष	7,14,03,524	12,67,19,827	

टिप्पणी : (क) उपर्युक्त प्रवाह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति प्रयुक्त करते हुए तैयार किया गया।

(ख) नकद तथा नकद समतुल्य अनुसूचित बैंकों के बकाया/जमा नकद की संगति में है।

इसी तिथि की हमारी संलग्न परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में प्रमाणित

मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की ओर से एवं उनके निमित्त
ह0/

(अरुण एस. कुट्टी)

पार्टनर

एम. नं. 84560

एफआरएन : 010514एन

दिनांक : 12 अगस्त, 2010

स्थान : नई दिल्ली

ह0

(आर.एन. यादव)

निदेशक

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0

(ए.सी. पाठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0

(जी.एस. पंवार)

प्रबंधक (वित्त)

ह0

(आर.के. मिश्र)

कंपनी सचिव





परोक्षी प्रपत्र

मैं ----- नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन
का सदस्य होने के नाते एतद् द्वारा श्री -----
को दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को होने वाली और उसके स्थगन पर हाने वाली कंपनी की 13वीं
साधारण बैठक (सामान्य अथवा असाधारण, जैसा भी हो) मैं मेरे लिए तथा मेरी ओर से मतदान करने
के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ।
दिनांक ----- को हस्ताक्षरित।